मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विडियों कॉन्फ्रेसिंग समीक्षा बैठक दिनांक 25.10.2025 में दिये गये निर्देश

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विडियों कॉन्फ्रेसिंग बैठक दिनांक 25.10.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे से समस्त जिले के कलेक्टर के साथ बैठक लिया गया। बैठक में निकाय के समस्त आयुक्त, CMO's को भी उपस्थित रहने निर्देशित किये थे। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सड़को पर घुमन्तु पशुओं के कारण से होने वाले दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने एवं निरंतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। निकाय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि शहर निकाय क्षेत्र के लिये हेल्पलाईन नंबर हो जिसमें शिकायत करने पर तत्काल कार्यवाही हो जिससे आम नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को तत्काल होने वाले कार्यवाही से निकाय के कार्यवाही पर विश्वास जागृत हो एवं निकाय की अच्छी छबि बने। प्रत्येक की गई कार्यवाही का मीडिया में प्रचार भी होना चाहिये। स्थल मौके पर की गई कार्यवाही मीडिया द्वारा गलत ढंग से प्रस्तुत न हो। इसलिये सही खबर मीडिया पर जानी चाहिये, साथ ही आम नागरिको, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया के साथ सामंजस्य बनाते हुये कार्य किया जाना चाहिये, जिससे छत्तीसगढ़ शासन की आम जनता पर अच्छी छबि बने।

1. ध्वनि प्रदूषणः–

आगामी माह मार्च में स्कूलों की परीक्षा प्रारंभ हो जायेगी, इसके लिये क्षेत्र भ्रमण में यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि ध्वनि प्रसारण यंत्र सुबह 10:00 बजे के पूर्व एवं रात्रि 10:00 बजे के बाद न बजे, प्रातःकालीन दौरे के समय उसे नियंत्रण किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहियें।

2. खटाल संचालको को गोकुल नगर में शिफ्टिंगः–

निगम क्षेत्र में खटाल संचालक को गोकुल नगर कुरूद में भूमि आबंटित किया गया किन्तु कुछ खटाल संचालक आबंटित भूमि में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हुए है, ऐसे खटाल संचालनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये उन्हें गोकुल नगर में शिफ्ट कराया जायें। इसके लिये खटाल संचालको से बात–चीत करें, साथ ही नोटिस भी दिया जायें। साथ ही जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए खटाल संचालकों को समझाईस दिया जाये।

3. वार्ड भ्रमण :–

वार्ड भ्रमण के दौरान सफाई कार्य, निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाता है। भ्रमण के दौरान उस वार्ड क्षेत्र के पार्षद, जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाना चाहिये, ताकि उस वार्ड क्षेत्र में जो समस्यायें है उसके निराकरण के लिये आवश्यक कार्यवाही किया जा सके।

उपरोक्त कार्यवाही संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./स्टे.आयु./ /2025/4178 दिनांक 28/10/2025

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन–1,2,3,4 एवं 5/PMAY/जलकार्य/स्वास्थ्य/कम्प्युटर/विद्युत/भवन संधारण/स्टोर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
9. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
10. सर्व संबंधित/विभाग प्रमुख .... नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई